दिनांक
8/3/17

सेवा में,

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
निगमित कार्यालय
पेरुम्नूर पोस्ट ऑफिस
कोचीन - 682015 (केरला)

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु । कृपया जानकारी हिंदी में एंव बिन्दुवार दे तो अत्यधिक प्रसन्नता होगी ।

1. आपकी प्रतिष्ठित कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी क्या है ?
2. विगत दो वित्तीय वर्षो 2014-15 एवं 2015-16 एंव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आपकी प्रतिष्ठित कम्पनी का सी.एस.आर. फण्ड कितना रहा है ?
3. इस राशि का आवंटन कहाँ - कहाँ और किन कार्यो के लिए किया गया ?
4. जिन स्थानों पर निगमित सामाजिक दायित्व राशि के अन्तर्गत कार्य कराया जाता है, उसके निर्धारण से सम्बंधित मापदण्ड क्या है ?
5. यदि इसका निर्धारण किसी सिफ़ारिश आदि के द्वारा किया जाता है, तो उसका वरीयता क्रम क्या है ?
6. विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में सी.एस.आर. के अन्तर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उसमें से किन प्रस्तावों को स्वीकृत/शामिल किया गया है ? इनका एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करे ।
7. सी.एस.आर. के अन्तर्गत कार्य करने के लिए क्या आपकी प्रतिष्ठित कम्पनी से सम्बंधित कोई संस्था या अन्य कम्पनी है या किसी और माध्यम से कार्य कराया जाता है ? इसके सन्दर्भ में संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करें ?
8. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-17 में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कितने परियोजना प्रस्ताव स्वीकार किये गए है ? प्रत्येक के सन्दर्भ में कर्मवार यह बताने की कृपा करे कि परियोजना की लागत कितनी रही है, परियोजना का क्रियान्वन किस एजेंसी द्वारा कराया गया है और उपरोक्त परियोजना को शामिल करने हेतु कोई सिफारिश प्राप्त हुई ? यदि हाँ तो विवरण प्रदान करें ।
9. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-2017 में सी.एस.आर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों का कर्मवार विवरण प्रदान करे ।
10. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-2017 में सी.एस.आर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव की लागत से सम्बंधित विस्तृत विवरण प्रदान करे ।
11. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-2017 में सी.एस.आर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वन किन-किन स्थानों पर किया गया है ?
12. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-2017 में सी.एस.आर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों का क्रियान्वन किन किन एजेंसी /संस्थान /कम्पनी द्वारा कराया गया है ?
13. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-2017 में सी.एस.आर के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी परियोजना प्रस्ताव के सन्दर्भ में क्या कोई सिफारिश पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हाँ तो उसका विवरण प्रदान करें ।
14. वित्तीय वर्ष 2015-2016 एंव 2016-2017 में सी.एस.आर के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजना को पूरा कर लिया गया है , या किसी परियोजना में कोई बाधा या रूकावट /शिकायत के कारण नहीं पूरा किया जा सका है , यदि हाँ तो विवरण प्रदान करे?

सीएसएल/अ एवं प्र नि
CSL/CMD/439
तिथि / Date:.....15/3

15. क्या आपकी प्रतिष्ठित कम्पनी में निगमित सामाजिक दायित्व नीति के लिए अलग से कोई विभाग है या यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, वर्तमान में उस विभाग में कौन कौन से अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत है, उनका नाम एंव पद की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करे ।
16. क्या आपकी कम्पनी के सी.एस.आर. विभाग में कार्यरत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उसकी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करे ? एंव उस शिकायत पर की गयी कार्यवाही से भी अवगत कराने का कष्ट करे ?

प्रेषक,

भवदीय

संलग्नक: पोस्टल आर्डर क्रमांक सं. 38F 158440 दिनांक 8/3/17

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, पोत परिवहन मंत्रालय)
कोच्ची - 682 015, भारत

COCHIN SHIPYARD LTD.
(A Government of India Enterprise, Ministry of Shipping)
KOCHI - 682 015, INDIA

सचि/50/2017-I

12 अप्रैल 2017

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना

महोदय,

I. कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 08 मार्च 2017 के आपके आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें जो दिनांक 15 मार्च 2017 को हमें प्राप्त हुआ। आरटीआई आवेदन का उत्तर नीचे दिया गया है।

1. **आपकी प्रतिष्ठित कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व पॉलिसी क्या है?**

   कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपनी सीएसआर नीति है जो इसकी वेबसाइट **www.cochinshipyard.com** पर उपलब्ध है।

2. **विगत दो वित्तीय वर्षों 2014-15 एवं 2015-16 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आपकी प्रतिष्ठित कंपनी की सीएसआर फण्ड कितना रहा है?**

   वर्ष 2016-17 सहित तीन वित्तीय वर्षों केलिए सीएसआर हेतु निधि आबंटन निम्नानुसार है।

सीएसआर निधि आबंटन	2014-15	2015-16	2016-17
	₹546.00 लाख	₹623.00 लाख	₹722.00 लाख

3. **इस राशि का आबंटन कहाँ- कहाँ और किन कार्यों केलिए किया गया?**

   सीएसएल की सीएसआर नीति के अनुसार, सामान्य रूप से निधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अधीन शामिल विविध परियोजनाओं केलिए आबंटित किया जाता है। बडे पैमाने पर, सीएसएल, केरल राज्य से संचालित एक एकल यूनिट मिनिरत्न सीपीएसई होने के कारण, इसकी सभी सीएसआर परियोजनाएँ, राज्य के विकासात्मक तथा सामाजिक रूप से महसूस की जानेवाली ज़रूरतों केलिए है।

4. **जिन स्थानों पर निगमित सामाजिक दायित्व राशि के अंतर्गतकार्य कराया जाता है, उसके निर्धारण से संबंधित मापदण्ड क्या है?**

परियोजनाओं के चयन केलिए मानदंड सीएसएल के सीएसआर समिति द्वारा स्वीकृत "मानक प्रचालन प्रक्रिया" में उल्लिखित किया है। उन प्रस्तावों को निम्नलिखित क्रम में वरीयता दी जाएगी: 1) सरकारी / अर्ध सरकारी / स्वायत्त संगठन 2) सीएसएल अपनी ओर से या सीएसएल के कर्मचारियों के कल्याण निकायों या संसर्ग द्वारा परियोजनाओं को पहचान लिया जाता है, जिसका कार्यान्वयन सीधे या किसी सरकारी/ सरकारी सूचीबद्ध अभिकरणों के ज़रिए किया जाएगा। 3) न्यूनतम तीन वर्ष केलिए उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसाइटी /फाउंडेशन/मठ/मिशन/एसएचजी/ सहकारी समितियों/ कंपनियों आदि जैसे प्रतिष्ठित गैर - लाभकारी कानूनी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव।

5. **यदि इसका निर्धारण किसी सिफारिश आदि के द्वारा किया जाता है, तो उसका वरीयता क्रम क्या है?**

सामान्य रूप से, सीएसएल को सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों में लगे हुए अभिकरणों से सीएसआर प्रस्ताव मिलता है। ऐसे प्रस्तावों मे से कुछ, संबंधित क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों, प्रमुख सिविल सोसाइटी सदस्य, जिला प्रशासन आदि सिफारिश की जा सकती है। फिर भी, ऐसी सिफारिशों के कारण प्रत्येक प्रस्तावों के मूल्यांकन, स्वतंत्र रूप में किया जाता है।

6. **'विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में सीएसआर के अंतर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उसमें से किन प्रस्तावों को स्वीकृत / शामिल किया गया है? इनका एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करें।**

वर्ष 2015-16 के दौरान, 138 प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिनमें से 39 प्रस्ताव मंजूर/ अनुमोदित किए गए थे। प्रत्येक परियोजना के विवरण अनुबंध - I में दिया है।

7. **सीएसआर के अंतर्गत कार्य करने केलिए क्या आपकी प्रतिष्ठित कंपनी से संबंधित कोई संस्था या अन्य कंपनी है या किसी और माध्यम से कार्य कराया जाता है? इसके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करें ।**

सीएसएल, विशिष्ट विकास परियोजनाओं केलिए, उपर्युक्त सूचितानुसार, विविध प्रकार के संस्थानों / अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो सीधे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप में है। कंपनी ने सीएसआर पहलों के प्रभावी योजना, निर्णय लेना, कार्यान्वयन और निगरानी केलिए एक तीन स्तरीय प्रणाली स्थापित की है। अपने सीएसआर हस्ताक्षेप को आगे सरल बनाने केलिए वर्ष 2015 में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है।

8. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कितने परियोजना प्रस्ताव स्वीकार किये गए है? प्रत्येक के संदर्भ में कर्मवार यह बताने की कृपा करें कि परियोजना की लागत कितनी रही है, परियोजना का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा कराया गया है और उपरोक्त परियोजना को शामिल करने हेतु कोई सिफारिश प्राप्त हुई ? यदि हाँ तो विवरण प्रदान करें।**

कृपया विवरण अनुबंध 1 में सारणी के रूप में देखें।

9. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों का कर्मवार विवरण प्रदान करें?**

कृपया अनुबंध 1 देखें।

10. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव की लागत से संबंधित विस्तृत विवरण प्रदान करें?**

कृपया अनुबंध 1 देखें।

11. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन किन - किन स्थानों पर किया गया है?**

कृपया अनुबंध 1 देखें।

12. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन किन किन एजेंसी/संस्थान/ कंपनी द्वारा कराया गया है?**

कृपया अनुबंध 1 देखें।

13. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी परियोजना प्रस्ताव के संदर्भ में क्या कोई सिफार्श पत्र प्राप्त हिआ बै, यदि हाँ को उसका विवरण प्रदान करें।**

कृपया अनुबंध 1 देखें।

14. **वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सीएसआर के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजना को पूरा कर लिया गया है, या किसी परियोजना में कोई बाधा या रूकावट / शिकायत के कारण नहीं पूरा किया जा सका है, यदि हाँ तो विवरण प्रदान करें।**

कृपया अनुबंध 1 देखें।

15. **क्या आपकी प्रतिष्ठित कंपनी में निगमित सामाजिक दायित्व नीति केलिए अलग से कोई विभाग है या यह किस विभाग के अंतर्गत आत है, वर्तमान में उस विभाग में कौन कौन से अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत है, उनकी नाम एवं पद की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।**

सीएसएल को एक अलग यूनिट है (सीएसआर कक्ष) जिसमें सीएसआर प्रधान और सीएसआर समिति को सहायता देते हुए दो पेशेवर शामिल हैं। यह कंपनी के कार्मिक व प्रशासन विभाग से जुडा हुआ है।

सीएसएल सीएसआर बोर्ड स्तर से नीचे की समिति के सदस्य:

1. एम डी वर्गीस, महा प्रबंधक (औ.सं. व प्रशा) व प्रधान सीएसआर
2. ए एन नीलकंण्ठन, महा प्रबंधक (सामग्री)
3. ए के सुबाष, उप महा प्रबंधक (मुख्य सर्तकता अधिकारी)
4. प्रेमचंद एस, उप महा प्रबंधक (सिविल)
5. शिबु जॉण, सहायक महा प्रबंधक (वित्त)
6. जयश्री के के, सहायक महा प्रबंधक (यू एण्ड एम)

सीएसएल सीएसआर कक्ष के सदस्य:

1. पी एम पॉल, कार्यक्रम प्रबंधक (सीएसआर)
2. ए के यूसफ, कार्यक्रम अधिकारी (सीएसआर)

16. **क्या आपकी कंपनी के सीएसआर विभाग में कार्यरत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उसकी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें एवं उस शिकायत पर की गयी कार्यवाही से भी अवगत कराने का कष्ट करे?**

कंपनी को सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

II. अपीलीय अधिकारी का नाम व पता

श्री सुरेषबाबु एन वी
निदेशक (प्रचालन)
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
पेरुमानूर पी ओ, पोस्ट बॉक्स 1653
<u>कोच्ची- 682015</u>

धन्यवाद,

भवदीया,

वी कला

वी कला
कंपनी सचिव व सीपीआईओ